कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून, पिन–248195

संख्या : सा०प्र० / स्टाफ कार / विक्रय / 2023–24 / 17 दिनांकः 13 .04.2023

वाहन विक्रय सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड, देहरादून का वाहन Maruti Suzuki SX4 vxi (Petrol)/04 cylinders/05 Seater/Gross Weight 1650/104.69 Bhp 85600R Horse Power Capacity/Manufacturing Year 2012 की विक्रय दिनांक 01.05.2023 को अपराह्न 03:00 बजे की जायेगी। वाहन "जहां है जैसा है" की दशा में एवं उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में विक्रय किया जायेगा। प्रत्येक बोलीदाता को वाहन के विक्रय में भाग लेने से पूर्व रू० 5,000/– (रू० पाँच हजार मात्र) नगद बतौर धरोहर राशि के रूप में उसी दिन 12:00 P.M. बजे तक विक्रय के लिए गठित विभागीय समिति के पास अवश्य जमा करनी होगी। बिना धरोहर राशि जमा किये हुए कोई भी बोलीदाता बोली में भाग नहीं ले सकता है। उच्चतम बोलीदाता को मौके पर ही उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत धनराशि उसी समय नगद जमा करना होगा। विक्रय से प्राप्त धन चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकार नहीं होगा। विक्रय की शर्तें किसी भी समय किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) के सामान्य प्रशासन अनुभाग से ली जा सकती है। वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन) को पूर्ण अधिकार होगा कि वह वाहन की विक्रय को बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है अथवा विक्रय की तिथि में परिवर्तन कर सकता है। इसके साथ ही कोई विवाद होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा। विस्तृत जानकारी इस कार्यालय के Website-www.agua.cag.gov.in पर उपलब्ध है।

वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०)
उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून, पिन–248195

स्थान : कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।

वाहन विक्रय हेतु बोलीदाताओं के लिए नियम व शर्तें।

1. वाहन Maruti Suzuki SX4 vxi (Petrol)/04 cylinders/05 Seater/Gross Weight 1650/104.69 Bhp 85600R Horse Power Capacity/Manufacturing Year 2012 के विक्रय प्रक्रिया में भाग लेने वाले को रू० 5,000/– (रू० पाँच हजार मात्र) नगद बतौर धरोहर राशि के रूप में उसी दिन जमा 12:00 P.M. बजे तक विक्रय के लिए गठित विभागीय समिति के पास अवश्य जमा करनी होगी।

2. वाहन विक्रय किये जाने की समस्त कार्यवाही विभागीय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में की जाएगी।

3. सफल उच्चतम बोलीदाता, फर्म/एजेंसी को 25% उसी समय विभागीय समिति के पास नगद जमा करना होगा। शेष धनराशि को विक्रय की स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिन में नगद जमा करना होगा। यदि उच्चतम सफल बोलीदाता शेष धनराशि समय सीमा के अन्तर्गत जमा करने में असफल होता है तब ऐसी स्थिति में दूसरी सफल बोलीदाता, फर्म/एजेंसी के नाम वाहन को छोड़ने पर विचार किया जा सकता है तथा पहले की नगद जमा धनराशि जब्त (Forfeit) हो जाएगी।

4. उच्चतम सफल दो बोलीदाताओं की धरोहर राशि को छोड़कर शेष बोलीदाताओं की धरोहर राशि वापस कर दी जायेगी।

5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन) को किसी भी बोली को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।

6. यदि कोई GST/TDS/TCS अथवा अन्य कोई कर नियमानुसार देय होगा तो वह क्रेता द्वारा भुगतान किया जायेगा।

7. Central Motor Vehicle Rules, 1989 (संशोधित) नियमावली के अधीन 30 दिनों में इस सरकारी वाहन का पुनः पंजीकरण वाहन स्वामी को अपने नाम से कराना होगा एवं RTO से प्राप्त नवीन पंजीकरण की सत्यापित प्रति इस कार्यालय में जमा कराना होगा।

क्रमशः........

8. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन) से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त सफल निविदाकर्ता को लिखित सूचना पर पैरा–3 की शर्त के अनुसार वाहन की सम्पूर्ण धनराशि जमा कर वाहन उठाया जा सकता है।

9. वाहन क्रेता को Hand Over करने के पश्चात् वाहन सम्बन्धी किसी भी दुर्घटना, विवाद, दुरूपयोग, ट्रैफिक नियम वायलेशन, नोटिस, दुर्घटना सम्बन्धी कानूनी विवाद, टैक्स से सम्बन्धित भुगतान, इश्योरेंस सम्बन्धी कार्यवाही, RTO से संबंधित समस्त कार्यवाही के लिए क्रेता उत्तरदायी होगा।

10. वाहन क्रेता को Hand Over करने के पश्चात्, इंश्योरेंस दस्तावेज, लाईसेंस, नम्बर प्लेट तत्काल प्रभाव से निरस्त माने जायेगे, जिसके सम्बन्ध में विक्रेता द्वारा क्रेता से करार किया जाएगा।

11. उपरोक्त शर्तों के विषय में तथा तिथि स्थगित होने या बदलने एवं प्रक्रिया के दौरान अथवा किसी भी समय विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड, देहरादून का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।

12. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन) को पूर्ण अधिकार होगा कि वह उपरोक्त प्रक्रिया को बिना कारण बताते हुए अस्वीकार कर सकता है और पुनः वाहन विक्रय की कार्यवाही कर सकता है।

वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन